



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मई, 2026

बैशाख 16, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1067/81-2-2026-29(74)-2025

लखनऊ, 6 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-262

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कुरीकुपा	616	3.8588	उत्तर- खसरा नं० 607, 628, 616 का शेष भाग, 614, 621 से सटा हुआ पूरब- खसरा नं० 627, 616 का शेष भाग, 617, 615, 614, 620 (नाला), 621 से सटा हुआ दक्षिण- खसरा नं० 613, 614, 615, 620 (नाला) पश्चिम- खसरा नं० 609, 615

1	2	3	4	5	6	7
2	फिरोजाबाद	टूंडला	रुधऊ मुस्तकिल	1074 ग	6.3650	उत्तर खसरा नं० 1071, 1070, 1074 का शेष भाग, 1072, 1073, 1092 पूरब खसरा नं० 1071, 1070, 1073, 1072, 1074 का शेष भाग, 1088, 1092 दक्षिण खसरा नं० 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 पश्चिम खसरा नं० 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (रास्ता)
				योग	10.2238	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1067/LXXXI-2-2026-29(74)-2025, dated May 6, 2026:

No. 1067/LXXXI-2-2026-29(74) 2025

Dated Lucknow, May 6, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
1	Firozabad	Firozabad	Kurrikupa	616	3.8588	North- Khasra No. 607, 628, Remaining Part of 616, 614, Adjacent to 621 East- Khasra No. 627, Remaining Part of 616, 617, 615, 614, 620 (Drain) Adjacent to 621 South- Khasra No. 613, 614, 615, 620 (Drain) West- Khasra No. 609, 615
2	Firozabad	Tundla	Rudhau Mustkil	1074 C	6.3650	North- Khasra No. 1071, 1070, Remaining part of 1074, 1072, 1073, 1092 East- Khasra No. 1071, 1070, 1073, 7072, Remaining part of 1074, 1088, 1092 South- Khasra No. 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 West- Khasra No. 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (Road)
				Total	10.2238	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 129 राजपत्र-2026-(269)-599+25=624 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मई, 2026

बैशाख 16, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1067/81-2-2026-29(74)-2025

लखनऊ, 6 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-262

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कुरीकुपा	616	3.8588	उत्तर- खसरा नं० 607, 628, 616 का शेष भाग, 614, 621 से सटा हुआ पूरब- खसरा नं० 627, 616 का शेष भाग, 617, 615, 614, 620 (नाला), 621 से सटा हुआ दक्षिण- खसरा नं० 613, 614, 615, 620 (नाला) पश्चिम- खसरा नं० 609, 615

1	2	3	4	5	6	7
2	फिरोजाबाद	टूंडला	रुधऊ मुस्तकिल	1074 ग	6.3650	उत्तर खसरा नं० 1071, 1070, 1074 का शेष भाग, 1072, 1073, 1092 पूरब खसरा नं० 1071, 1070, 1073, 1072, 1074 का शेष भाग, 1088, 1092 दक्षिण खसरा नं० 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 पश्चिम खसरा नं० 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (रास्ता)
				योग	10.2238	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1067/LXXXI-2-2026-29(74)-2025, dated May 6, 2026:

No. 1067/LXXXI-2-2026-29(74) 2025

Dated Lucknow, May 6, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
1	Firozabad	Firozabad	Kurrikupa	616	3.8588	North- Khasra No. 607, 628, Remaining Part of 616, 614, Adjacent to 621 East- Khasra No. 627, Remaining Part of 616, 617, 615, 614, 620 (Drain) Adjacent to 621 South- Khasra No. 613, 614, 615, 620 (Drain) West- Khasra No. 609, 615
2	Firozabad	Tundla	Rudhau Mustkil	1074 C	6.3650	North- Khasra No. 1071, 1070, Remaining part of 1074, 1072, 1073, 1092 East- Khasra No. 1071, 1070, 1073, 7072, Remaining part of 1074, 1088, 1092 South- Khasra No. 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 West- Khasra No. 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (Road)
				Total	10.2238	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 129 राजपत्र-2026-(269)-599+25=624 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मई, 2026

बैशाख 16, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1067/81-2-2026-29(74)-2025

लखनऊ, 6 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-262

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कुरीकुपा	616	3.8588	उत्तर- खसरा नं० 607, 628, 616 का शेष भाग, 614, 621 से सटा हुआ पूरब- खसरा नं० 627, 616 का शेष भाग, 617, 615, 614, 620 (नाला), 621 से सटा हुआ दक्षिण- खसरा नं० 613, 614, 615, 620 (नाला) पश्चिम- खसरा नं० 609, 615

1	2	3	4	5	6	7
2	फिरोजाबाद	टूंडला	रुधऊ मुस्तकिल	1074 ग	6.3650	उत्तर खसरा नं० 1071, 1070, 1074 का शेष भाग, 1072, 1073, 1092 पूरब खसरा नं० 1071, 1070, 1073, 1072, 1074 का शेष भाग, 1088, 1092 दक्षिण खसरा नं० 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 पश्चिम खसरा नं० 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (रास्ता)
				योग	10.2238	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1067/LXXXI-2-2026-29(74)-2025, dated May 6, 2026:

No. 1067/LXXXI-2-2026-29(74) 2025

Dated Lucknow, May 6, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
1	Firozabad	Firozabad	Kurrikupa	616	3.8588	North- Khasra No. 607, 628, Remaining Part of 616, 614, Adjacent to 621 East- Khasra No. 627, Remaining Part of 616, 617, 615, 614, 620 (Drain) Adjacent to 621 South- Khasra No. 613, 614, 615, 620 (Drain) West- Khasra No. 609, 615
2	Firozabad	Tundla	Rudhau Mustkil	1074 C	6.3650	North- Khasra No. 1071, 1070, Remaining part of 1074, 1072, 1073, 1092 East- Khasra No. 1071, 1070, 1073, 7072, Remaining part of 1074, 1088, 1092 South- Khasra No. 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 West- Khasra No. 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (Road)
				Total	10.2238	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 129 राजपत्र-2026-(269)-599+25=624 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मई, 2026

बैशाख 16, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1067/81-2-2026-29(74)-2025

लखनऊ, 6 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-262

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कुरीकुपा	616	3.8588	उत्तर- खसरा नं० 607, 628, 616 का शेष भाग, 614, 621 से सटा हुआ पूरब- खसरा नं० 627, 616 का शेष भाग, 617, 615, 614, 620 (नाला), 621 से सटा हुआ दक्षिण- खसरा नं० 613, 614, 615, 620 (नाला) पश्चिम- खसरा नं० 609, 615

1	2	3	4	5	6	7
2	फिरोजाबाद	टूंडला	रुधऊ मुस्तकिल	1074 ग	6.3650	उत्तर खसरा नं० 1071, 1070, 1074 का शेष भाग, 1072, 1073, 1092 पूरब खसरा नं० 1071, 1070, 1073, 1072, 1074 का शेष भाग, 1088, 1092 दक्षिण खसरा नं० 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 पश्चिम खसरा नं० 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (रास्ता)
				योग	10.2238	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1067/LXXXI-2-2026-29(74)-2025, dated May 6, 2026:

No. 1067/LXXXI-2-2026-29(74) 2025

Dated Lucknow, May 6, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
1	Firozabad	Firozabad	Kurrikupa	616	3.8588	North- Khasra No. 607, 628, Remaining Part of 616, 614, Adjacent to 621 East- Khasra No. 627, Remaining Part of 616, 617, 615, 614, 620 (Drain) Adjacent to 621 South- Khasra No. 613, 614, 615, 620 (Drain) West- Khasra No. 609, 615
2	Firozabad	Tundla	Rudhau Mustkil	1074 C	6.3650	North- Khasra No. 1071, 1070, Remaining part of 1074, 1072, 1073, 1092 East- Khasra No. 1071, 1070, 1073, 7072, Remaining part of 1074, 1088, 1092 South- Khasra No. 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 West- Khasra No. 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (Road)
				Total	10.2238	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 129 राजपत्र-2026-(269)-599+25=624 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मई, 2026

बैशाख 16, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1067/81-2-2026-29(74)-2025

लखनऊ, 6 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-262

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कुरीकुपा	616	3.8588	उत्तर- खसरा नं० 607, 628, 616 का शेष भाग, 614, 621 से सटा हुआ पूरब- खसरा नं० 627, 616 का शेष भाग, 617, 615, 614, 620 (नाला), 621 से सटा हुआ दक्षिण- खसरा नं० 613, 614, 615, 620 (नाला) पश्चिम- खसरा नं० 609, 615

1	2	3	4	5	6	7
2	फिरोजाबाद	टूंडला	रुधऊ मुस्तकिल	1074 ग	6.3650	उत्तर खसरा नं० 1071, 1070, 1074 का शेष भाग, 1072, 1073, 1092 पूरब खसरा नं० 1071, 1070, 1073, 1072, 1074 का शेष भाग, 1088, 1092 दक्षिण खसरा नं० 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 पश्चिम खसरा नं० 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (रास्ता)
				योग	10.2238	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1067/LXXXI-2-2026-29(74)-2025, dated May 6, 2026:

No. 1067/LXXXI-2-2026-29(74) 2025

Dated Lucknow, May 6, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
1	Firozabad	Firozabad	Kurrikupa	616	3.8588	North- Khasra No. 607, 628, Remaining Part of 616, 614, Adjacent to 621 East- Khasra No. 627, Remaining Part of 616, 617, 615, 614, 620 (Drain) Adjacent to 621 South- Khasra No. 613, 614, 615, 620 (Drain) West- Khasra No. 609, 615
2	Firozabad	Tundla	Rudhau Mustkil	1074 C	6.3650	North- Khasra No. 1071, 1070, Remaining part of 1074, 1072, 1073, 1092 East- Khasra No. 1071, 1070, 1073, 7072, Remaining part of 1074, 1088, 1092 South- Khasra No. 1073, 1092, 1088, 1084, 1086, 1085, 1071 West- Khasra No. 1070, 1071, 1073, 1092, 1040 (Road)
				Total	10.2238	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 129 राजपत्र-2026-(269)-599+25=624 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।